IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.67
Volume 5, Issue 3, January 2025

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का विश्लेशणात्मक अध्ययन

डॉ. सुनीता जैन
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
स्व. दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर
बलाघाट (म.प्र.)

सारांश :–

एक महिला को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है। वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। अगर महिला माता अथवा गृहिणी के संस्कार, शिक्षा–दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो यह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है? समाज के लिए महिला का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से उन्नत होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेंगी क्योंकि एकता स्त्रियाँ स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा बच्चे, युवा प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा शक्ति और संसाधनों की प्राप्ति से है जिससे कि वे अपने विषय में महत्वूपर्ण निर्णय स्वयं ले सके एवं दूसरों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का विरोध कर सके। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम और मूलभूत साधन है। प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है तथा महिला शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएँ है उनको दर्शाने का प्रयत्न किया गया है।

मूलशब्द – सशक्तिकरण, सहसंबंध, प्रजातांत्रिक, मूलमूत, समाज, शिक्षित, संसाधन।

प्रस्तावना :–

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण ष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूंजी का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-23188

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.67
Volume 5, Issue 3, January 2025

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार ''किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रकिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके और यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993–99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता–पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरूष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होगें कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा।

''संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

महिलाओं की दयनीय दशा के लिए अशिक्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जैसे–जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है महिलाओं की परिस्थिति भी परिवर्तित हो रही है। शिक्षा ने महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त किये हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। शिक्षा का प्रसार होने से महिलाएँ परम्परागत बंधनों, पुराने विचारों व अन्धविश्वासों से मुक्त हो रही है। वे अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की सामर्थ्य रखती हैं। आधुनिक शिक्षित महिला पुरुष की दासता को स्वीकार नहीं करती वे पुरूष के समान अपने अधिकारों के पक्ष में है। प्रारम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलता पूर्वक करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था।

धीरे–धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के सन्दर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल हैं, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की सम्भावना आज स्पष्टतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज कर सकती है। भारत में स्वतन्त्रता के बाद संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आहवान करके उनकी स्थिति सुधारने हेतु नये–नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उददेश्य से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीतिनिर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया है। इसमें कहा गया, राज्य इस सिद्धान्त के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेगें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाजों व राष्ट्रों

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.67
Volume 5, Issue 3, January 2025

के विकास, दोनों ही सन्दर्भों में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत मे लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्याओं की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुददा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिंग विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। किसी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरूषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ–साथ समाज में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है।

महिलाओं की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानून व सैद्धान्तिक सन्दर्भ में उनके अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं हैं परन्तु व्यवहारिक स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अभी अभीश्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहु ंच पाये हैं। ''संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरुषों में सारक्षता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इस परिस्थिति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए योजनाएँ :– केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है ं। इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रूपये के शुरुआती कोष के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम था। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउट योजना शुरू की।

बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3.479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए करतूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.67
Volume 5, Issue 3, January 2025

उद्देश्य :–

1. महिला शिक्षा के महत्व को समझना
2. शिक्षा एवं सशक्तिकरण के सहसम्बन्ध को ज्ञात करना
3. महिला शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाओं को समझना
4. महिला शिक्षा की बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेश के रूप में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है। प्राथमिक स्तर में वहाँ कमश 25.49 प्रतिशत और 19,84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ है। यह केरल के विपरीत है जहाँ उच्चतम साक्षरता दर के साथ–साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत में केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। ''हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दुनियाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस सबक्षण में आर्थिक साझेदारी व अवसर शिक्षा स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच अन्तर को मापने की कोशिश की गयी। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनियों का एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों में समानता है। सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले में स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे। अमेरिका को 22 वां स्थान मिला है। फिलीपींस दुनियों के उन पाँच देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरूष असमानता को समाप्त किया है।''

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि ''दुनियों के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएं घर की चार दीवारी में बन्द है। अशिक्षित माँ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारम्भ होता है। अधिकांश मामलों में यह मान लिया जाता है कि महिला को एक अच्छी पत्नी और सेवा निश्ठ माँ बनना है। यदि उसके पास समय है और वह कुछ बनना चाहती है तो वह क्लर्क या अध्यापिका बन सकती है।

ऐसी स्थित्ति में विज्ञान और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में कैरियर बनाने पर समय और निवेश करने में कोई तुक नजर नहीं आती। यदि संसाधनों के निवेश का प्रश्न उठता है तो संसाधन निरन्तर लड़का की तकनीकी शिक्षा पर लगाये जाते है। यदि लड़कों की बहनों की भी वही रूचियाँ है तो वे महिलाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों को लेने की ओर चली जाती है। इन निर्णयों को लेने के पीछे यह भावना काम करती है कि लड़कियाँ कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं। अतः निर्धनता, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियाँ एवं सामाजिक कुरीतियाँ महिला शिक्षा में बाधक है।

निष्कर्ष :–

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.67
Volume 5, Issue 3, January 2025

सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी भावना रखकर अपना योग दान देगा तो शिक्षित महिलाओं में वृद्धि होगी। शिक्षा से ही महिलाओं में आत्म विश्वास, आत्म जागृति एवं अपने अधिकारों तथा सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अवसरों की जानकारी हो सकेगी जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेगी एवं स्वावलम्बी बनकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकेंगी। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रमुख वरीयता दी है। प्रदेश सरकार यह प्रयास रहा है कि आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा इतना सशक्त बनाया जाये कि वह न केवल स्वयं बल्कि समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मिश्र, डॉ जयकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली. 1992 पृष्ठ 16
2. भाग्यलक्ष्मी जे : ''महिला अधिकारिता बहुत कुछ करना शेष'' योजना, अग्रस्त 2008, पृष्ठ–24। अलतेकर, डॉ अनन्त सदाशिय : ''प्राचीन भारतीय शिक्षण'', नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, 155 वाराणसी. 1968 पृष्ठ 125
3. देवपुरा प्रतापमल : महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व कुरूक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
4. मकोल नीलम, शर्मा सदीप : सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2006।
5. असारी, एम.ए. (2001), : ''महिला और मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
6. मिश्रा के के. (1965) : ''विकास का समाजशास्त्र, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
7. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999) : ''भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति'', कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. लदानिया, एम.एम. (1989) : ''समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
9. जैन, प्रतिभा (1998), ''भारतीय स्त्री सांस्कृतिक सन्दर्भ''. रावत पब्लिकेशन जयपुर।
10. तिवारी, आर.पी. (1999) : ''भारतीय नारीः वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान' नई दिल्ली।
11. बधेला, डॉ. हेत सिंह (1999) : ''शिक्षा मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
12. कानिटकर मुकुल : भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका, योजना सितम्बर 2016
13. व्यास डॉ0 मिनाक्षी : नारी चेतना और सामजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर, 200

*****